



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 अप्रैल, 1987

वैशाख 10, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 606/सत्रह-वि-1(क) 22-1986

लखनऊ, 30 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 22 अप्रैल, 1987 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1987 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1987)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में यथा प्रवृत्त कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 के निरसन की व्यवस्था के

लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैतीसवें वर्ष में निम्नखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1--यह अधिनियम कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) अधिनियम, 1986 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

अधिनियम संख्या 2--उत्तर प्रदेश में यथा प्रवृत्त कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 एतद्वारा निरसित किया  
3 सन् 1898 का जाता है।  
निरसन

आज्ञा से,  
शिवाधार तिवारी,  
विशेष सचिव।

No. 606(2)/XVII-V-1-1 (KA)-22-1986

Dated Lucknow, April 30, 1987

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Kustha Rogi (Uttar Pradesh Nirsan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 1987) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 22, 1987.

**THE LEPERS (UTTAR PRADESH REPEAL) ACT, 1986**

[U. P. ACT NO. 7 OF 1987]

(As passed by the U.P. Legislature)

AN

ACT

*to provide for repeal of the Lepers Act, 1898 as in force in Uttar Pradesh*

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Short title</i>                 | 1. This Act may be called the Lepers (Uttar Pradesh Repeal) Act, 1986.     |
| <i>Repeal of Act no. 3 of 1898</i> | 2. The Lepers Act, 1898, as in force in Uttar Pradesh, is hereby repealed. |

By order,  
SHIVADHAR TEWARI,  
Vishesh Sachiv,